न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2903–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.8.2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, वृत उटीला, जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 2/13–14/अ–70.

---

1. महेश प्रसाद पाठक,
2. मुन्नालाल
3. दिनेश कुमार
4. पप्पू उर्फ मुरारी पुत्रगण शंकर लाल पाठक
   निवासीगण ग्राम उटीला, तहसील मुरार,
   जिला ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. गणेश बिहारी,
2. अरूण कुमार
3. आत्मानंद
4. सुरेन्द्र गिरी नाबालिग पुत्र मथुरा गिरी,
   सरपरस्त मां बेजन्तीबाई जाति गुसाई
   निवासीगण ग्राम उटीला, तहसील मुरार,
   जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

.....

श्री जितेन्द्र स्वामी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कं0 1 लगायत 3
श्री एन0के0 पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक कं0 4

.....

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 28 मई, 2015)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत, नायब तहसीलदार, वृत उटीला, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.8.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार वृत उटीला के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम उटीला स्थित भूमि सर्वे कमांक 926/1 उनके स्वामित्व की भूमि है, जिसका सीमांकन विधिवत् हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, पुलिस फोर्स, ग्रामवासियों तथा आवेदकगण के समक्ष करवाया गया था । राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर सीमा चिन्ह कायम कर उभय पक्ष को अवगत कराया गया था । उक्त सीमांकन के आधार पर. अनावेदकगण अपनी भूमि पर दिनांक 25.7.2014 को तार फैसिंग कर रहे थे, तभी आवेदकगण द्वारा मुड्डियां तौड़ दी गई एवं झगड़े पर अमादा हो गये एवं ट्रेक्टर आदि रखकर अनावेदकगण का रास्ता रोक दिया गया है । अतः विधिवत् कार्यवाही कर आवेदकगण का कब्जा हटाया जाकर, अनावेदकगण को दिलाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर, दिनांक 12.8.2014 को उभय पक्ष को सुनकर इस आशय का आदेश पारित किया गया कि कब्जा दिलाने हेतु राजस्व निरीक्षक एवं थाना प्रभारी को पत्र जारी हो । इस पर आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर आपत्ति किये जाने पर पुनश्चः आदेशिका लिखी गई कि आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की । प्रकरण में संलग्न, प्रति अनावेदकण को दी । प्रकरण पूर्ववत् नियत। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा दिनांक 7.8.2014 को उपस्थित होकर दावे की प्रति प्राप्त की गई, जिसके जबाव हेतु प्रकरण में दिनांक 12.8.2014 की तिथि नियत की गई । इस दिनांक को बिना अनावेदकगण के जबाव प्रस्तुत किये, बिना सुनवाई किये एवं बिना साक्ष्य लिये राजस्व निरीक्षक एवं थाना प्रभारी को मौके पर कब्जा दिलाये जाने हेतु आदेश पारित करने में नायब तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि सीमांकन रिपोर्ट में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा नहीं दर्शाया गया है और ना ही इस बात का उल्लेख सीमांकन रिपोर्ट में हैं, इसलिये संहिता की धारा 250 का

प्रकरण प्रचलन योग्य ही नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष प्रश्नाधीन भूमि के सह खातेदार हैं और संहिता की धारा 250 अवैध कब्जाधारियों के लिये है, सहखातेदारों पर लागू नहीं होती है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया था, और सीमांकन के आधार पर तार फैसिंग कराये जाने पर आवेदकगण द्वारा तार फैसिंग नहीं करने दिये जाने से स्पष्ट है कि अनावेदकगण की भूमि के कुछ भाग पर आवेदकगण का अवैध कब्जा है, इसीलिये उनके द्वारा तार फैसिंग नहीं करने दी गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के एक मात्र स्वामित्व की भूमि है, और उसमें कोई सहखातेदार नहीं है, इसलिये संहिता की धारा 250 लागू होती है । तर्क में यह भी कहा गया कि यदि अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण का कब्जा नहीं है, तब उन्हें अपनी भूमि पर तार फैसिंग करने से आवेदकगण द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन रिपोर्ट में आवेदकगण का अवैध कब्जे का उल्लेख नहीं होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि प्रश्नाधीन भूमि के कुछ भाग पर आवेदकगण का अवैध कब्जा नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष अभी कार्यवाही प्रचलित है, और तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण नहीं किया गया है, इसलिये यह निगरानी प्री–मेच्योर है और यदि यह माना जाता है कि तहसीलदार द्वारा अंतिम रूप से प्रकरण का निराकरण कर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दे दिया गया है, तब अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील होगी, निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत तर्को को समर्थन दिया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में केवल इस आशय का उल्लेख करते हुए कि उभय पक्ष की बहस की, प्रकरण

में कब्जा दिलाने हेतु राजस्व निरीक्षक एवं थाना प्रभारी को पत्र जारी किये जाने का आदेश दिया गया है, जबकि संहिता की धारा 250 के प्रावधानों के अनुरूप कब्जे सम्बन्धी प्रकरण का निराकरण बिना साक्ष्य लिये संक्षिप्त रूप से नहीं किया जा सकता है । नायब तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वे उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित देकर साक्ष्य आदि लेते हुए उनकी विवेचना कर संहिता की धारा 250 के प्रावधानों के अनुरूप विस्तृत विवेचना कर आदेश पारित करते । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं बोलता हुआ आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.8.2014 अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर, साक्ष्य लेकर, विस्तृत विवेचना करते हुए आदेश पारित करें । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर